FORM NO.3

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत ....एसडीओ.... मुकाम ....सरवाड़....

....रामेश्वर पुत्र नाथू कोली बनाम रामचन्द्र पुत्र देवी कैलाश....

किस्म मुकदमा ....251 ए RTAct.... न. 42 .... सन् 18 ....

4.5.18	पत्रावली अटल सेवा केन्द्र जोतापा में ली गई। वकिल प्रार्थी हाजिर सुना गया। वकिल प्रार्थी का कथन है कि ग्राम ~~[illegible]~~ चांदमा की जमाबंदी संवत 2069-88 के खाता सं. नया-पुराना 107- इमामी पत्नी नाथु, हरलाल रामेश्वर पि. नाथु ग्यारसी, मन्दोरि पुत्रियां नाथु के नाम दर्ज था। हक त्याग के बाद रामेश्वर वल्द नाथु हिस्सा 4/5 तथा हरलाल का हिस्सा 1/5 दर्ज हो चुका है। प्रार्थी का खेत 472, 1.60 हैक्टेयर चाही 2 दर्ज है। प्रतिवादी के वकिल ने जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए बताया वादीगण के खेत से कदीमी रास्ता दूर है तथा जहाँ व बता रहा है वहाँ रास्ता नहीं है। अत: दावा खारिज किया जावे। मौका रिपोर्ट गिरदावर से प्राप्त की गई खसरा न. 415-414, 413, 412, 475, 474, 473 व तक्का फसली रास्ता है। जिसमें से होकर खातेदार खसरा न. 472 में जाता है। खातेदार का राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता अंकित नहीं है। खसरा न. 414, 413; 412; 475, 474 473 के खातेदारी द्वारा फसली रास्ते के आने जाने से मना कर दिया है। फसली रास्ते के अतिरिक्त ख॰न॰ 472 में आने जाने का कोई और रास्ता नहीं है। अि: अत: रास्ता दिये जाने के आदेश दिए जाते हैं। आदेश मजमेआम जोतापा में सुनाया जाता है।	

सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner